

राजस्थान सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय

क्रमांक प. 5(1)मं.मं./2018

जयपुर, दिनांक 8/9/2023


आदेश

मंत्रिमण्डल सचिवालय के आदेश क्रमांक: प. 5(1)मं.मं./2019 दिनांक 12.05.2022 द्वारा नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन तथा उद्योग विभाग के लंबित प्रकरणों के निस्तारण हेतु निम्नांकित पुर्नगठित मंत्रिमण्डल एम्पावर्ड समिति को, वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 11.9.2018 के तहत राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम-2012 की धारा-58 के उपबंधों में प्रयोज्यता में छूट संबंधी जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के 26 प्रकरणों सहित भविष्य में प्राप्त होने वाले समस्त विभागों के प्रकरणों को निर्णयार्थ रखने हेतु अधिकृत किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम	संयोजक
1.	श्री शांति कुमार धारीवाल, मंत्री, स्वायत्त शासन विभाग	संयोजक
2.	श्री परसादी लाल, मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	सदस्य
3.	श्री रामलाल जाट, मंत्री, राजस्व विभाग	सदस्य
4.	श्रीमती ममता भूपेश बैरवा, मंत्री, महिला एवं बाल विकास विभाग	सदस्य
5.	श्री भजन लाल जाटव, मंत्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग	सदस्य
6.	श्रीमती शकुन्तला रावत, मंत्री, उद्योग विभाग	सदस्य
7.	श्री अर्जुन सिंह बामनियां, राज्यमंत्री, जन जाति क्षेत्रिय विकास विभाग (स्वतंत्र प्रभार)	सदस्य
8.	श्री राजेन्द्र सिंह यादव, राज्यमंत्री, उच्च शिक्षा विभाग (स्वतंत्र प्रभार)	सदस्य

उक्त विषयक प्रकरणों को समिति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु संबंधित विभाग के प्रभारी सचिव, समिति के सदस्य सचिव होंगे ।

यह आदेश वित्त (जी एण्ड टी) विभाग की आई.डी. संख्या 102301713 दिनांक 14.08.2023 एवं मुख्यमंत्री कार्यालय के आई. डी. संख्या एफ. 23003986 दिनांक 03.09.2023 के अनुसरण में जारी किया जाता है ।


(श्रीराम मोदी)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, राज्यपाल, राजस्थान ।
2. प्रमुख सचिव/सचिव (जी.जी.), मुख्यमंत्री, राजस्थान ।
3. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, संबंधित मंत्री/राज्य मंत्रिगण ।
4. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान ।
5. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/ प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिवगण ।
6. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (जी एण्ड टी) विभाग ।
7. प्रोग्रामर, कम्प्युटर सैल, सामान्य प्रशासन विभाग ।
8. रक्षित पत्रावली ।


शासन उप सचिव